

स्वायं प्रेरित अभियंता एवं आभियंता विभागा में निदेशित
23.9.25
(आइए प्रमाण पत्र मांगक अधिनियम 2006)
कोलकाता (पाठ)

खाल प्रयोगशाला अजमेर से जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./664/ किया गया।

बहुस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजों का द्यानापूर्वक अवलोकन आयोजित करते हुए आवेदन पत्र का निर्यात करने की प्रार्थना की है।
में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्यात आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध उमाना की उधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका उमाना एफएएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 तथा एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड क्यूक्री का विकय कर एफएएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 अंतर्गत यह 40-44 होने चाहिए था। इसीलिए लिये गया खाल नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पया
में B.R. Reading of extracted fat at 40°-44.4 पया गया, जबकि खाल नमूने क्यूक्री सबस्टैण्डर्ड होना पया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाल नमूने क्यूक्री विभागीय प्रोसेकर ने अपनी बहुस में बताया कि विपक्षी का खाल नमूना क्यूक्री



गया। मामले में विभागीय प्रोसेकर उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।
को कायमिय होना में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया
रिजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.09.2025
खाल सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.07.2025 को दर्ज

अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।
निर्यात अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाल सुरक्षा
अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय
निर्धारित है। खाल नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित
उधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका उमाना एफएएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में
किया है कि विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड क्यूक्री का विकय कर एफएएसएस की धारा 26 की
डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्यात आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अधिकृत
एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 24.6(1) के तहत प्रस्तुत रिजिस्टर्ड पत्र एवं रिजिस्टर्ड
द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कानूना
जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा में पेश किया।
खाल सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्यात आवेदन पत्र करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत
क्यूक्री निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पया गया। आवेदक
/685 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार विक्रता से वास्तु जाँच हेतु लिया गया खाल नमूना,
खाल प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./664/एक्ट/2024

गये।
नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फट बैग कर सभी के हस्ताक्षर करवाये
लपटकर, दोनों स्थितों को मोडकर, गाँव से बिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर
बैग कर प्रत्येक नमूना भाग पर गाँव से बिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाली कानून में
नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल
लिये गये जिस पर डी.आ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स-2367 नाम, पता, बस्ती का नाम,
क्यूक्री जाँच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रता के सामने थार लेबल बैग
मौके पर गवाह व विक्रता की उपस्थिति में विक्रता को 480/-रु. नगद देकर
परिवय लिया। विक्रता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है।
जिला भीलवाड़ा पर पहुँचा। मूने विक्रता को परिवय दिया परिवय पत्र दिखाया एवं विक्रता का



न्याय निगम अधिकांश एवं
आरिओ लिमिटेड भीलवाड़ा
(वारा पुरमा पर मानक अधिनियम 2006)

प्रति लिगा कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करें।
2. जीवन पुरी गोखामी पुत्र रामपुरी गोखामी भूखंड प्रेम भवाड कृष्णी आइंसकीम फॅलिया गेट, शाहपुरा
कि विपक्षी से निर्णयानुसार शक्ति प्राप्त करना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
1. अधिगत अधिकांश एवं मुख्य विक्रय अधिकांश भीलवाड़ा को भुजकर लेख है
प्रतिनिधि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

न्याय निगम अधिकांश एवं
आरिओ लिमिटेड भीलवाड़ा
(वारा पुरमा पर मानक अधिनियम 2006)

सूचना गयी।
निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

जमा करा, बालान प्रति प्रेष करें।
10,000/रुपये शक्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शक्ति प्राप्त करने के अनुरोध
कारित होने के फलस्वरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत
अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध
किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक
उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अवदण्ड से दण्डित
पाये जाने पर शक्ति आरोपित किया जावेगा है।

धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदाब्ज
मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका उमाना
है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड कृष्णी का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी कृष्णी का विक्रय करने के लिये दोषी

में निर्धारित है।
की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका उमाना एकपुसएस एक्ट 2006 की धारा 51
गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड कृष्णी विक्रय कर एकपुसएस एक्ट 2006 की धारा 26
अंतर्गत यह 40-44 होने चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पर्या
में B.R. Reading of extracted fat at 40°-44.4 पर्या गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के
(STANDARD) होना पर्या गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने कृष्णी
खाद्य नमूना, कृष्णी निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB
एक्ट/2024/685 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार विक्रय से वास्तव जाँच हेतु लिया गया